



प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**

खेल/ युवा कल्याण/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/ खादी एवं ग्रामोद्योग/ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा/ संसदीय कार्य/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/उच्च शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ गृह/ कृषि/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/अतिरिक्त ऊर्जा/ नगर विकास/ ग्राम्य विकास/एन0आर0आई0/ पर्यटन/ सूचना एवं जनसम्पर्क/ पशुधन/ औद्योगिक विकास/समाज कल्याण/पंचायती राज/ आवास एवं शहरी नियोजन/ सचिवालय प्रशासन विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक/महिला कल्याण/राष्ट्रीय एकीकरण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/संस्थागत वित्त/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2026

विषय:- दिनांक 24-26 जनवरी, 2026 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' को समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिनांक 24 जनवरी 1950 को हुई थी तथा इसी दिन प्रदेश का नाम 'संयुक्त प्रान्त' से बदल कर 'उत्तर प्रदेश' रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की ऐतिहासिक स्मृति को चिरस्थाई बनाने तथा प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं विकासात्मक उपलब्धियों को व्यापक रूप से जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष-2018 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को त्रिदिवसीय (24-26 जनवरी, 2026 के मध्य) आयोजन के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक जनसहभागिता के साथ मनाया जाता रहा है।

2. इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में यह आयोजन राजधानी लखनऊ एवं नौएडा सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में एक साथ किया जाएगा। 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' का मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन लखनऊ स्थित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ नौएडा एवं प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तरीय सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं विकासपरक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का सूचना विभाग द्वारा सजीव प्रसारण किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

(कार्यवाही- समस्त विभाग/ समस्त जनपद)

(1) इस अवसर पर 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर हॉट एयर बैलून स्थापित कर 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' की थीम एवं आयोजन की झलक प्रदर्शित की जाएगी। जनपदों में होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों आदि को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इस अवसर पर जनपद स्तरीय कार्यक्रमों में माननीय मंत्रीगण, निगम / बोर्ड के माननीय अध्यक्षगण, माननीय जन प्रतिनिधिगण / नोडल अधिकारियों आदि को भी आमंत्रित किया जाए।

(कार्यवाही- समस्त विभाग/ समस्त जनपद)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के सभी आयोजन "विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत" थीम के अन्तर्गत किये जाएं। सभी विभागों द्वारा प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, वीर रस की कविताओं का पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगितायें, रोड शो, पारम्परिक खेल (जैसे मलखम्भ/कबड्डी) आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश की प्रगति, नवाचार, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक चेतना को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण दिवसों को भी समाहित किया गया है:-

- दिनांक 12 जनवरी, 2026 - युवा दिवस
- दिनांक 23 जनवरी, 2026 - नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती (मॉकड्रिल सहित कार्यक्रम)
- दिनांक 24 जनवरी, 2026 - उत्तर प्रदेश दिवस
- दिनांक 25 जनवरी, 2026 - राष्ट्रीय पर्यटन दिवस/ मतदाता जागरूकता दिवस
- दिनांक 26 जनवरी, 2026 - गणतंत्र दिवस- (समापन)

(कार्यवाही- समस्त विभाग/ समस्त जनपद)

(3) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' का भव्य आयोजन दिल्ली, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भी किया जाए जहाँ उनके राज्यों के माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश से जुड़े विशिष्ट नागरिकों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। अन्य राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने उद्यमिता, व्यापार, इन्वेंशन, शिक्षा, कला, विज्ञान, प्रशासन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको आमंत्रित कर सम्मानित भी किया जाए।

(कार्यवाही- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/ पर्यटन विभाग/संस्कृति विभाग)

(4) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' का भव्य आयोजन फिजी/ मॉरीशस/ मालदीव/ सिंगापुर/ थाईलैण्ड आदि देशों में भी भारतीय दूतावासों के सहयोग से किया जाए। इस अवसर पर भारत के राजदूतों से सम्पर्क कर सहयोग एवं उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- पर्यटन/ एन0आर0 आई0 विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

(5) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के आयोजन के अन्तर्गत संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान' के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव-2025-2026' का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु तहसील/ ब्लॉक/ जनपद एवं मण्डल स्तर पर गायन/वादन/ नृत्य/ नाट्य एवं काव्य सम्मेलन/ संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। कलाकारों से पुराने वाद्य यंत्रों के प्रयोग पर भी बल दिया जाए।

(कार्यवाही- समस्त जिलाधिकारी/संस्कृति एवं पर्यटन परिषद/संस्कृति विभाग/ बेसिक/ माध्यमिक/ उच्च शिक्षा विभाग)

(6) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओ0डी0ओ0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश के शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इन प्रदर्शनियों के स्टॉल्स में ट्रेड शो की तर्ज पर जी0आई0 टैग ओ0डी0ओ0पी0 के उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 'एक जनपद-एक व्यंजन' के उत्पादों का भी प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

(7) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्टार्टअप व ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर आधारित प्रदर्शनियां, इनवेस्ट 'उत्तर प्रदेश' द्वारा वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनामी पर आधारित प्रदर्शनियां, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रगतिमान उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रदर्शनियां, गृह विभाग द्वारा मिशन शक्ति पर आधारित प्रदर्शनियां व संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की कला, संस्कृति व इतिहास पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएं।

(कार्यवाही- उद्योग एवं अवस्थापना विभाग/ गृह/ सूचना एवं जनसम्पर्क/ संस्कृति विभाग)

(8) उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थायें/ निदेशालय द्वारा कला, संस्कृति एवं विरासत पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाए। राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ललित कला अकादमी द्वारा इस अवसर पर रंगोली तथा वंदे मातरम पर आधारित 150 Feet की कैनवस पेन्टिंग तैयार की जाए। भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा 100 वर्षों की यात्रा एवं वादन एवं गायन की उत्कृष्ट प्रस्तुति की जाए तथा उ0प्र0 में प्रचलित संगीत विद्या के घरानों का परिचय एवं प्रदर्शन किया जाए। भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से 'आनन्द मठ' विषय पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियों सहित अन्य महापुरुषों जिनके शताब्दी वर्ष मनाये जा रहे हैं; उन पर नाट्य प्रस्तुतियां तैयार करते हुए प्रदर्शन किए जाएं।

(कार्यवाही- सूचना एवं जनसम्पर्क/ संस्कृति विभाग)

(9) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी, समाज कल्याण विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा जी तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर आधारित प्रदर्शनियां, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभागों की उपलब्धि पर आधारित प्रदर्शनियां एवं पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन एवं पौराणिक स्थलों की प्रदर्शनियों तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों के वर्चुअल टूर का आयोजन किया जाए।

(कार्यवाही- उच्च शिक्षा/ सूचना एवं जनसम्पर्क / पर्यटन/ राष्ट्रीय एकीकरण/ समाज कल्याण विभाग)

(10) विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी विशिष्ट सफल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए, जो युवा पीढ़ी के लिये अनुकरणीय हों।

(कार्यवाही- समस्त विभाग)

(11) नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 12 से 26 जनवरी, 2026 की अवधि में विशेष स्वच्छता अभियान चलाते हुए समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों में साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य कराये जाएं।

(कार्यवाही - नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग)

(12) युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 12 से 23 जनवरी, 2026 के मध्य विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं कराते हुए विजेताओं को पुरस्कृत किया जाए।

(कार्यवाही- युवा कल्याण विभाग)

(13) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कृषि एवं विज्ञान विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों, किसानों, उद्यमियों, चिकित्सकों आदि का चयन करते हुए 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाए।

(कार्यवाही- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/ कृषि एवं विज्ञान/चिकित्सा विभाग)

(14) दिनांक 24-26 जनवरी की अवधि में आयोजित 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान व विश्वकर्मा श्रम सम्मान के विजेताओं, माटी कला बोर्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, चिकित्सकों, प्रगतिशील किसानों व वैज्ञानिकों का सम्मान किया जाए।

(कार्यवाही- समस्त विभाग)

(15) उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश की यात्रा से संबंधित संकलित अभिलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन सभी कार्य स्थलों पर किया जाए जिस हेतु अभिलेखों की सॉफ्ट कॉपी मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएं तथा सूचना विभाग की प्रदर्शनी के साथ सूचना विभाग द्वारा इसे भी प्रदर्शित किया जाए।

(कार्यवाही- संस्कृति विभाग/ सूचना विभाग)

(16) लखनऊ के अतिरिक्त अन्य जिलों में आयोजन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। जिला स्तरीय आयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि का वहन विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रचार-प्रसार मद से किया जाएगा।

(कार्यवाही-समस्त विभाग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(17) नौएडा में आयोजित राज्यस्तरीय आयोजन हेतु समस्त व्यय नौएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण द्वारा 40:40:20 के प्रतिशत के अनुपात में वहन किया जाएगा।

(कार्यवाही- नौएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण)

(18) 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के आयोजन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए राज्य सरकार की योजना से संबंधित सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस-2026 की थीम 'विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत' की योजनाओं से सम्बन्धित आयोजन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएं।

(कार्यवाही- समस्त विभाग/ जिला प्रशासन)

(19) लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक करने एवं लाभ पहुँचाने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे।

(कार्यवाही- संस्थागत वित्त/अतिरिक्त ऊर्जा विभाग)

(20) समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएं तथा नोडल अधिकारी द्वारा 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल <https://culturalevents.in> पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'उत्तर प्रदेश दिवस-2026' के सफल आयोजन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या- 08 /2026/ 29(1) /चार-2026, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण।
7. महानिदेशक, पर्यटन।
8. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडैस्को।
11. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।